बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सं0सं0–6/एन–08–15/2018–1455(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31/12/2018

विषयः– निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों/पारा मेडिकल संस्थानों/डेन्टल कॉलेजों के छात्रों को राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति।

चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए क्लिनिकल प्रशिक्षण अनिवार्य है। वर्तमान में निजी संस्थानों के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में छात्रों को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण क्लिनिकल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों पर शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

2– अतः निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों/पारा मेडिकल संस्थानों/डेन्टल कॉलेजों के छात्रों को राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नरुपेण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	कोर्स	एक सत्र के लिए निर्धारित राशि	
		सामान्य कोटि/ बी0सी0	ई0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0 के लिये
1	डेन्टल कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी	रु0 10,000/–	रु0 4000/–
2	एम0एस0सी0–नर्सिंग/पारा मेडिकल के प्रशिक्षणार्थी	रु0 3500/–	रु0 1500/–
3	बी0एस0सी0 (डिग्री कोर्स) – नर्सिंग/ फिजियोथेरापी/अकुपेशनलथेरापी/सभी पारा मेडिकल के प्रशिक्षणार्थी	रु0 2500/–	रु0 1000/–
4	जी0एन0एम0 के प्रशिक्षणार्थी	रु0 2500/–	रु0 1000/–
5	डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स – सभी पारा मेडिकल के प्रशिक्षणार्थी	रु0 2000/–	रु0 800/–
6	ए0एन0एम0 के प्रशिक्षणार्थी	रु0 1000/–	रु0 400/–

3– प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त शुल्क मुख्य शीर्ष–0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उप शीर्ष–0005–चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रशिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क, विपत्र कोड–R-0210031050005 के विस्तृत शीर्ष–00–प्राप्तियाँ, विषय शीर्ष–32–अन्य शुल्क में जमा किया जायेगा।

4– इसमें मंत्रिपरिषद् की दिनांक–03.11.2018 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–23 में स्वीकृति प्राप्त है।

5– यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kaushal 28/12/18

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–6/एन–08–15/2018–1455(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

Kamal 28/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6/एन–08–15/2018–1455(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/विभागाध्यक्ष–सह–नियंत्री पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एण्ड अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kamal 28/12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6/एन–08–15/2018–1455(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 4, 6, 12, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kamal 28/12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6/एन–08–15/2018–1455(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31 / 12 / 2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kamal 28/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव